संख्या-22/2020/220/18-2-2020-19(ल0उ0)/2017

प्रेषक

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 18 जून, 2020

विषयः- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन /परिवर्द्धन ।

महोदय,

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2017 के प्रस्तर-7.10.1 के अन्तर्गत प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय दस्तकारों तथा पारम्परिक कारीगरों के विकास हेतु "विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना" क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-34/2018/997/18-2-2018-19(ल0उ0)/2017, दिनांक 26-12-2018 द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्गत किये गये हैं। इस योजना के संचालन को और अधिक सरल एवं सुगम बनाये जाने हेतु संदर्भगत शासनादेश के प्रस्तर-2.ख.1, 2.ग एवं 3.3 को निम्नवत संशोधित/ परिवर्द्धित किये जाने का निर्णय लिया गया है-

" ख- टूलकिट वितरणः-

2.ख.1 परम्परागत कारीगरों द्वारा प्रयोग किये जा रहे औजार पुरानी तकनीक पर आधारित है। सेवा/व्यवसाय के सफल संचालन हेतु आधुनिकतम तकनीक पर आधारित उन्नत किस्म के टूलकिट का वितरण कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरान्त सभी प्रशिक्षणार्थियों को किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रदत्त टूलकिट का अनुप्रयोग कर रोजगार के अवसर शीघ्र प्रदान कराये जाने के उद्देश्य से प्रशिक्षणदायी संस्था द्वारा टूलकिट का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से करते टूलकिट प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त प्रदान किया जायेगा। टूलकिटों की जेम पर अनुपलब्धता की स्थिति में टूलकिट सुसंगत क्रय नियमों के अन्तर्गत ई-टेण्डर के माध्यम से की जायेगी।

2.ग- मार्जिन मनी ऋणः- परम्परागत कारीगरों को अक्सर वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ता है। अतः उपर्युक्त व्यवस्था के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं टूल किट प्राप्त कर चुके लाभार्थियों में से ऋण सुविधा हेतु इच्छुक लाभार्थियों को वर्तमान में संचालित मार्जिन मनी योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अथवा भविष्य में भी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

केन्द्र/राज्य द्वारा संचालित मार्जिन मनी योजनाओं के द्वारा डवटेलिंग करते हुये ऋण वितरण में लक्ष्य निर्धारित करते हुये तदनुसार वरीयता दी जायेगी। यह लक्ष्य निर्धारण की कार्यवाही आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग के स्तर पर की जायेगी।

3- योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता निम्नानुसार होगी :-

3.3 आवेदक को पारम्परिक कारीगरी जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची, धोबी, भरभूजा, मूर्तिकार अथवा दस्तकारी आदि व्यवसाय से जुड़ा होना चाहिए।"

2- उक्त संशोधनों के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-34/2018/997/18-2-2018-19(ल0उ0)/2017, दिनांक 26-12-2018 में योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्णित मार्गदर्शी सिद्धान्त यथावत रहेंगे।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तदिशा-निर्देशानुसार विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव।

संख्या-22/2020/220/18-2-2020 - तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0/ समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारी/उपायुक्त, उद्योग उ0प्र0।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
5- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3/2 (गार्ड फाइल)।

आज्ञा से

प्रदीप कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक **कारीगर** जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री एवं **हस्तशिल्पियों** के आजीविका के साधनों का सुदृढ़ीकरण करने की नई पहल

"विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना"

योजना	योजना की पात्रता
1–योजनान्तर्गत आच्छादित पारंपरिक **कारीगरों** एवं दस्तकारों को उद्यम के आधार पर एक साप्ताहिक **कौशल वृद्धि हेतु** प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क एवं आवासीय होगा। 2– परम्परागत कारीगरों द्वारा प्रयोग किये जा रहे औजार पुरानी तकनीक पर आधारित है। सेवा/व्यवसाय के सफल संचालन हेतु आधुनिकतम तकनीक पर आधारित उन्नत किस्म के टूलकिट का वितरण कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरान्त सभी प्रशिक्षणार्थियों को किया जायेगा।	**योजनान्तर्गत पात्रताः–** 1– आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। 2– आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन करने के तिथि से की जायेगी। 3– आवेदक को पारम्परिक **कारीगरी** जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची अथवा दस्तकारी व्यवसाय से जुड़ा होना चाहिए। 4– योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त किये जाने हेतु किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है। 5– परिवार का केवल एक सदस्य ही योजनान्तर्गत आवेदन हेतु पात्र होगा। परिवार का आशय **पति अथवा पत्नी** से है। 6– योजनान्तर्गत पात्रता हेतु जाति एक मात्र आधार नहीं होगा। योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे व्यक्ति भी पात्र होंगे जो परम्परागत कारीगरी करने वाली जाति से भिन्न हों। ऐसे आवेदकों को परम्परागत कारीगरी से जुड़े होने के प्रमाण के रूप में ग्राम प्रधान, अध्यक्ष नगर पंचायत अथवा नगर पालिका/नगर निगम के सम्बन्धित वार्ड के सदस्य द्वारा निर्गत किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 7– हस्तशिल्पी पहचान पत्र धारक परिवार के सदस्यों को उपर्युक्त प्रस्तर 6 में उल्लिखित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा।